कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - फा-11(430)सविरा/34/2/2006 दिनांक 9.09.11

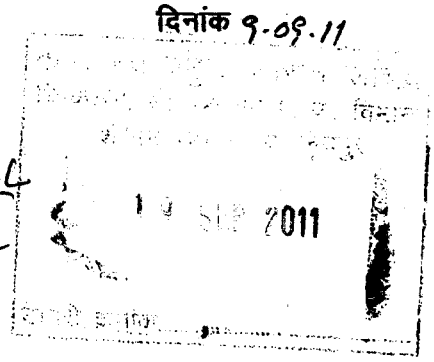

प्रबन्ध संचालक
उपभोक्ता संघ,
जयपुर

MD, RMSCL

महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार,
————————(समस्त)

व्यवस्थापक,
क्रय विक्रय सहकारी समिति,
नसीराबाद/केकड़ी/हिण्डौन/दौसा/कोटपूतली/बालोतरा/सोजत सिटी/करौली

विषय :– **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना संचालन हेतु नवीनतम दिशा निर्देश**
प्रसंग :– **इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्र. फा–11(430)सविरा/34/2/2006 दि. 30.8.11**

EDRMSCCA)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना संबंधी बैठक दिनांक 20.8.11 का कार्यवाही विवरण जारी करते हुए, **योजना संचालन संबंधी प्राथमिक दिशा निर्देश जारी किए गए थे।**

इस सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर चिकित्सा विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर **सहकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र संचालन बाबत पूर्व जारी निर्देशों के अतिरिक्त, निम्नानुसार नवीनतम दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं** :–

1. सहकारी संस्थाओं द्वारा **केवल जिला स्तर के चिकित्सालयों में केवल आउटडोर मरीजों हेतु निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र संचालित किये जावें।**
2. किसी सहकारी संस्था से स्थानीय चिकित्सालय प्रशासन द्वारा जिला स्तर से नीचे के स्तर के चिकित्सालय में आउडडोर मरीजों हेतु डीडीसीज संचालन का आग्रह किए जाने पर, सम्बन्धित सहकारी संस्था द्वारा गुणावदोष के आधार पर एवं संस्था के व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने संचालक मण्डल स्तर पर इस आशय का निर्णय लिया जावेगा एवं इस कार्यालय को भी सूचित कराया जावेगा।
3. सहकारी संस्थाओं द्वारा इस **योजनान्तर्गत दवाईयों की आपूर्ति/सप्लाई का कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।**
4. **डीडीसीज के संचालन हेतु सहकारी संस्थाओं को ड्रग लाईसेन्स की अनिवार्यता नहीं है,** अतः ड्रग लाईसेन्स सम्बन्धी व्ययभार सहकारी संस्था पर नही पड़ेगा।
5. डीडीसीज के संचालन हेतु एनजीओ से अनुबध आधार पर लिए गये फार्मासिस्टों के योग्यता प्रमाण पत्र को फोटो फ्रेम में डीडीसी पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किया जावे।
6. डीडीसीज के संचालन हेतु लगाये गये सभी कार्मिकों (फार्मासिस्टों/हैल्परों) के नेमटैग आवश्यक रूप से लगाए जावें। साथ ही उन्हें पहचान पत्र (फोटो एवं हस्ताक्षर सहित) भी आवश्यक रूप से जारी किए जावें।

7. **डीडीसीज का बीमा करवाया जाना आवश्यक नहीं है।**

8. चिकित्सा विभाग के अनुसार केन्द्रों का रिकार्ड मैन्युअल रूप से ही संधारित किया जाना होगा। फिर भी सहकारी संस्थाओं द्वारा सुगम व्यवस्था एवं कार्य कुशलता के दृष्टिकोण से केन्द्रों से वितरित की जाने वाली निःशुल्क दवाईयों की बिलिंग/रिकार्ड संधारण कम्प्यूटर के माध्यम से ही किया जावे। स्मरण रहे कि इस पर होने वाले व्यय का पुर्नभरण चिकित्सा विभाग द्वारा पृथक से नहीं किया जावेगा।

9. डीडीसीज पर रिकार्ड संधारण/रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक स्टेशनरी एवं प्रपत्र, सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान द्वारा ही उपलब्ध कराई जावेंगें।

10. प्रत्येक डीडीसी पर बिजली, पानी संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा संबंधित सहकारी संस्था को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी ।

11. डीडीसीज के संचालन हेतु मानव श्रम की व्यवस्था संबंधित सहकारी संस्था द्वारा एनजीओ के माध्यम से विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप की जावेगी । एक डीडीसी के संचालन हेतु एक फार्मासिस्ट एवं दो हेल्परों की व्यवस्था की जानी होगी । इस हेतु संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा संबंधित सहकारी संस्था को 25000 रूपये प्रति केन्द्र प्रति माह संचालन व्यय के रूप में पुनर्भरण किया जावेगा ।

12. चिकित्सा विभाग द्वारा योजना की मौकड्रिल दि. 15.9.11 को की जाना निश्चित हुआ है, अतः इस हेतु प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित करा ली जावें।

13. डीडीसीज से वितरित की जाने वाली **निःशुल्क दवाईयों की डिलीवरी सहकारी संस्था द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के ड्रग स्टोर से ही लेनी होगी।**

14. चिकित्सा विभाग के दिशा निर्देशानुसार **अस्थाई दवा वितरण केन्द्रों की स्थापना नहीं की जानी है।**

15. डीडीसीज की स्थापना हेतु स्थान एवं राशि सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को आवेदन कर प्राप्त की जावे। संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा डीडीसी हेतु निर्मित स्थान उपलब्ध कराए जाने पर उसकी साज सज्जा/रिनोवेशन/मरम्मत हेतु आवश्यक राशियां चिकित्सा संस्थान से प्राथमिकता पर प्राप्त की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे। सहकारी संस्था द्वारा केन्द्र निर्माण कराए जाने की स्थिति में, स्थान आवंटन एवं निर्माण हेतु आवश्यक राशि चिकित्सा संस्थान से प्राथमिकता पर प्राप्त की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

16. डीडीसीज के संचालन के लिए आवश्यक कार्मिकों **(अनुबन्धित फार्मासिस्टों एवं हैल्परों)** के लिए एनजीओ के माध्यम से व्यवस्था हेतु अपेक्षित कार्यवाही समय से पूर्व आवश्यक रूप से करा ली जावे। इसके अतिरिक्त केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक संसाधनों – फर्नीचर फिक्सचर्स, रैक्स, बिजली उपकरण, कम्प्यूटर/ कम्प्यूटर एक्सैसरीज की भी व्यवस्था समय से पूर्व करा ली जावे।

17. चिकित्सा विभाग द्वारा योजना सम्बन्धी निर्देश पुस्तिका अभी तक जारी नहीं की गई है। योजना निर्देश पुस्तिका की "ड्राफ्ट कापी" के सहकारिता विभाग से सम्बन्धित पृष्ठों **(निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र शीर्षक के पृष्ठ 42 से 53 एवं प्रपत्रों सम्बन्धी पृष्ठ 39 से 41)** को सहकारिता विभाग की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जा रहा है। कृपया योजना सम्बन्धी प्राथमिक जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु उन्हें डाऊनलोड कर तद्नुसार अवश्यक कार्यवाही करावें। इनमें केंन्द्र का डिजाईन, नाम पट्टिका प्रदर्शन, आकार इत्यादि का विवरण उल्लेखित है।

18. योजना प्रारम्भ होने से पूर्व डीडीसीज पर लगाए जाने वाले कार्मिकों के प्रशिक्षण, सैंसिटाईजेशन सम्बन्धी कार्यवाही भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करा ली जावे।

19 योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण एवं सूचना रिपोर्टिंग की भी आवश्यक व्यवस्था करावें।

20. केन्द्र संचालन हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा देय 75000 रूपये प्रति डीडीसी तीन माह की अग्रिम राशि प्राथमिकता से प्राप्त कर लेवें।

21. सहकारी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा संस्थानों की सम्पत्ति पर अपने व्यय से निर्मित दुकानों, जिन्हें डीडीसीज में परिवर्तित किया जा रहा हो, के व्यय पुर्नभरण हेतु एकमुश्त राशि दिलाए जाने का आग्रह सहकारिता विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग से किया जा रहा है, जिसके निर्णय से आपको पृथक से सूचित किया जावेगा। तब तक ऐसे व्यय का आंकलन कर सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान को आवेदन करते हुए, इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

22. चिकित्सा विभाग के दिशा निर्देशानुसार डीडीसीज के रिकार्ड को जीएफ एण्ड एआर के तहत सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है, अतः तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

23. निःशुल्क दवा केन्द्रों के संचालन हेतु सहकारी संस्था एवं चिकित्सा संस्थान के मध्य निष्पादित किए जाने वाले अनुबन्ध पत्र **(एमओयू)** का मॉडल प्रारूप तैयार कराया जाकर आपकी सुविधा हेतु यथाशीघ्र सहकारिता विभाग की वैबसाईड पर प्रकाशित किया जा रहा है, कृपया वहां से डाऊनलोड कर लेवें।

24. सहकारी संस्था द्वारा निःशुल्क दवा केन्द्रों का संचालन यदि ओपीडी हेतु निर्धारित समयावधि के अलावा 24 घंटे या 16 घंटे संचालन किया जाना हो, तो अतिरिक्त समयावधि के आधार पर (24 घंटे हेतु 3 केन्द्र एवं 16 घंटे हेतु 2 केन्द्र गानते हुए) चिकित्सा संस्थान से तद्नुसार मासिक संचालन व्यय का पुर्नभरण लिया जावे।

रजिस्ट्रार

क्रमांक फा-11 (430) सवि/36/2/2006 दिनांक 9-09-11 09/09/11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर.
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा (शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राज सरकार, जयपुर
4. डा. समित शर्मा, प्रबंध संचालक, राजस्थान मेडीकल सप्लाई कॉर्पोरेशन, जयपुर
5. खण्डीय अतिरिक्त / संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, अजमेर / भरतपुर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर

9/9/11
संयुक्त रजिस्ट्रार (उपभोक्ता)